सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 832 राँची, गुरुवार

6 अग्रहायण 1936 (श०)

27 नवम्बर, 2014 (ई०)

सहकारिता प्रभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2014

संख्याः 1@स्था0सह0प्र0पदा0से0नि0&51/2007 सह-3596--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा में भत्ती] प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं%&

अध्याय--2

प्रारम्भिक

1- संक्षिप्त नाम] विस्तार एवं प्रारम्भ%&

(i) यह ÞनियमावलीÞ झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी %भत्ती@प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्त% संवर्ग नियमावली] 2014ß कहलायेगी।

(ii) यह नियमावली सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगी।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2- सेवा का सम्वर्ग & सहकारिता विभाग] झारखण्ड] राँची के नियंत्राधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी इस सेवा के सदस्य होंगे।

3- परिभाषाएँ%&

(i) राज्य से अभिप्रेत है & झारखण्ड राज्य।

(ii) विभाग से अभिप्रेत है & सहकारिता विभाग] झारखण्ड] राँची।

(iii)नियमावली से अभिप्रेत है & झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ¼भत्र्ती] प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्ते½ संवर्ग नियमावली] 2014

(iv)संवर्ग से अभिप्रेत है & सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग।

(v) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है & निबंधक] सहयोग समितियाँ] झारखण्ड] राँची।

(vi)आयोग से अभिप्रेत है & झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग

(vii) राज्यपाल से अभिप्रेत है & झारखण्ड राज्य के राज्यपाल।

4- सेवा@संवर्ग की रचना एवं वेतनमान%&

क्र॰	पदनाम	वेतनमान	भत्र्ती का प्रकार
1.	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ¼मूल कोटि½	PB-II-9300-34800/- +Grade Pay 4200	100% सीधी भत्र्ती

अध्याय-2

भत्र्ती@नियुक्ति

5- सेवा@संवर्ग में नियुक्ति प्राधिकारीः& निबंधक] सहयोग समितियाँ] झारखण्ड] राँची होगें।

6- रिक्तियों का नियतीकरण%& सेवा में नए पद का सृजन] सेवानिवृति] मृत्यु] सेवा से हटाये जाने तथा पदच्युत किए जाने से उपलब्ध रिक्ति अथवा पूर्व वर्ष में बिना भरी गई रिक्तियाँ अर्थात् प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी की तिथि को उपलब्ध रिक्तिनुसार पदों को भरा जायगा।

7- रिक्तियों में आरक्षणः& कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जायगा।

अध्याय-3

सीधी भत्र्ती द्वारा नियुक्ति

8- सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया%& कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय चयन प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर आयोग द्वारा अनुषंसित उम्मीदवारों की सूची से नियुक्त किया जाएगा।

9- सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता@अर्हताएँ%&

(i) शैक्षणिक योग्यता%& मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री।

(ii) उम्र सीमा%& यथा राज्य सरकार के कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के अनुरूप उम्र की गणना की जायगी।

10- रिक्तियों का संसूचन%& नियोक्ता प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तक की रिक्तियों की संख्या] अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या को निर्धारित ¼अवधारित½ करेगा तथा इसकी सूचना@अधियाचना नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष की 28@29 फरवरी तक आयोग को विहित रीति से उपलब्ध कराया जायगा।

11- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा%& विभाग की अधियाचना के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएगा।

अध्याय-4

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

12- प्रोन्नति हेतु कालावधि%& कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्धारित कालावधि अनुमान्य होगी।

अध्याय-5

विविध

13- प्रोन्नति का पद सोपान%& सहायक निबंधक] सहयोग समितियाँ ¼राजपत्रित& वर्ग Þख ß½ के पद पर वरीयता&सह&योग्यता एवं प्रोन्नति के अन्य मापदण्ड के आधार पर योग्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायगी।

14- परीवीक्षा%&

(क) ऐसे मौलिक पदों के विरूद्ध नियुक्त कर्मी दो वर्ष की अवधि तक के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

(ख) नियोक्ता समुचित मामले में कारण अभिलिखित करते हुए परीवीक्षा की अवधि को अतिरिक्त एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं।

(ग) परीवीक्षा की अवधि में असंतोषजनक कार्य पाए जाने पर नियोक्ता द्वारा सेवा समाप्त किया जा सकेगा।

(घ) सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा मूल कोटि में नियुक्त सदस्य दो वर्ष तक परीवीक्षा अवधि में रहेंगे और इस अवधि में असंतोषप्रद सेवा या विभागीय कार्यकलाप पर नियंत्री पदाधिकारी@निबंधक] सहयोग समितियाँ द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित किए जाने पर परीवीक्षा अवधि छः माह के लिए बढ़ा दी जायगी और कमी से अवगत करा दिया जायगा] फिर भी सेवा असंतोषप्रद रहने पर या विभागीय कार्यकलाप के आधार पर प्रतिकूल टिप्पणी नियंत्रण पदाधिकारी@निबंधक] सहयोग समितियाँ द्वारा प्रतिवेदित की जाती है तो इन्हें बिना कारणपृच्छा के पूर्व पद पर पदावनत कर दिया जायगा।

15- प्रशिक्षणः& नियुक्ति की तिथि से अगले 2 (दो) वर्ष के अन्दर सहकारी प्रबंधन में उच्चतर पात्रोपाधि (Higher Diploma in Co-operative Management) पाठ्यक्रम के अंतर्गत छः से नौ माह का सवैतनिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

प्रशिक्षण की योजना एवं पाठ्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद] नई दिल्ली के पैटर्न पर अथवा राज्य सरकार के यथानिर्देशानुसार तैयार की जायेगी।

16- विभागीय परीक्षा:- हिन्दी-टिप्पण -प्रारूपण परीक्षा] लेखा परीक्षा] सहकारी समितियाँ अधिनियम] 1935 से संबंधित परीक्षा तथा जनजातीय भाषा परीक्षा नियमानुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

17- सेवा सम्पुष्टि%& परीवीक्षा की अवधि पूरी करने पर पदाधिकारी को सम्पुष्ट कर दिया जायगा यदि--

(क) उसका कत्र्तव्य एवं आचरण संतोषजनक पाया गया हो।

(ख) राजभाषा विभाग द्वारा विहित हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण लेखा एवं जनजातीय की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली गई हो।

(ग) परीवीक्षाधीन अवधि के अन्तर्गत प्रषिक्षण पूर्ण कर ली गई हो।

¼घ½ नियोक्ता को यह समाधान हो जाय कि वह अपने पद पर सम्पुष्टि के योग्य हो गया हो।

18- प्रशासनिक नियंत्रण%& निबंधक] सहयोग समितियाँ] झारखण्ड] राँची होंगे।

19- अनुशासनिक कार्रवाई%&- सिविल अधीनस्थ सेवा ¼वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील½ नियमावली तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेष के अन्तर्गत विभागीय निबंधक] सहयोग समितियाँ द्वारा की जायेगी।

20- सेवा की अन्य शत्र्ते%&-

¼क½ संवर्गीय कर्मियों को आवश्यकतानुसार राज्य/केन्द्र/अन्य विभाग एवं किसी संस्थान में नियोक्ता द्वारा प्रतिनियुक्ति किया जा सकेगा।

¼ख½ संवर्गीय कर्मी अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा] आयकर आदि का विवरण निबंधक] सहयोग समितियाँ को प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक उपलब्ध करायेंगे। इनके गोपनीय चारित्रिक अभ्युक्तियों की लिखने की जिम्मेवारी सहायक निबंधक@ जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं समकक्ष होंगे तथा समीक्षी पदाधिकारी उप निबंधक@ संयुक्त निबंधक एवं स्वीकरण पदाधिकारी निबंधक] सहयोग समितियाँ] झारखण्ड] राँची होंगे।

21- वरीयता%&- आयोग@पर्षद की मेधा सूची अथवा कार्मिक] प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर वरीयता निर्धारण हेतु जारी दिशा&निर्देश के अनुरूप इस संवर्ग की वरीयता निर्धारित की जायगी।

22- निरसन%&-

¼i½ इस नियमावली द्वारा की गई व्यवस्था के अलावे सेवा संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति का वेतन ¼जिसके अन्तर्गत वेतन का निर्धारण भी है½ भत्ते] छुट्टी] पेंशन तथा सेवा की अन्य शत्र्तें] तत्समय इस हेतु प्रवृत सामान्य नियमों] परिपत्रों तथा आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

¼ii½ इस नियमावली के प्रवृ"k होने से पूर्व इस संबंध में लागू नियमावली@राज्यादेष निरसित हो जायेगें तथा उसके अन्तर्गत किये कार्य या कार्यवाही के संबंध में यह

समझा जाएगा कि वह इस नियमावली के अधीन प्रद¨k शक्तियों के आलोक में की गयी हो।

¼iii½ इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा और आवश्यकतानुसार वित्त/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

¼iv½ जिन बिन्दुओं या विषयों का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है] उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम@अनुदेश लागू होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से]

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गज़ट (असाधारण) 832—50+25 ।